

# इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को जल्द मिलेगी सब्सिडी, पोर्टल तैयार

सरकार **2.56 लाख** वाहनों को सब्सिडी देने का कर चुकी है एलान

जासं, लखनऊ : इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी कुछ ही माह में मिलेगी। परिवहन विभाग ने सब्सिडी देने के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है। आवेदन करने वालों को ही पांच हजार से 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकेगी। आनलाइन ही पांच चरणों में अनुमोदन होगा, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके।

प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद नीति पर सरकार 14 अक्टूबर 2022 को ही मुहर लगा चुकी है। दो मार्च को प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने अधिसूचना व औद्योगिक विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नियमावली जारी की। सरकार दो पहिया से लेकर ई-बस खरीदने को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी दे रही है। सबसे अधिक दो पहिया वाहनों को सब्सिडी मिलेगी, प्रति वाहन पांच हजार रुपये खरीदार को मिलेंगे। वहीं, कार खरीदने पर एक लाख और आटो के लिए 75 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति आने



**20** लाख रुपये तक की मिल सकेगी सब्सिडी

## राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन

नाम	वाहन संख्या
मोटरसाइकिल	1872
मोटरकार	393
ई-रिक्शा	4560
ई-कार्ट	286

## पंजीकरण शुल्क व रोड टैक्स पर मंथन तेज

इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क व रोड टैक्स में सरकार शत-प्रतिशत छूट दे रही है। खरीदारों को इसका लाभ 14 अक्टूबर 2022 से ही मिलना है। परिवहन विभाग ने पहली अप्रैल 2023 से इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में पंजीकरण शुल्क व रोड टैक्स न लेने

का आदेश डीलरों को जारी किया है। इसका अनुपालन हो रहा है, लेकिन, 14 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को पंजीकरण शुल्क व रोड टैक्स का धन कैसे वापस किया जाए इसको लेकर अभी मंथन चल रहा है।

के बाद से इन वाहनों की खरीद में तेजी आई है। अधिसूचना जारी होने के तीन माह बाद भी खरीदारों को सब्सिडी नहीं दी जा रही है। परिवहन विभाग ने इसके लिए पोर्टल तैयार किया है। इस पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को आवेदन करना होगा। वाहन बेचने वाले डीलर से

लेकर परिवहन आयुक्त तक पांच स्तर पर जांचा जाएगा कि सब्सिडी सही व्यक्ति को दी जा रही है। पूरी प्रक्रिया आनलाइन होने से सब्सिडी भुगतान के आवेदन में देर नहीं लगेगी। परिवहन विभाग के उपायुक्त राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि माह के अंत तक पोर्टल लांच होगा।